संख्या–6/2015/ई–8–1320/दस–2015–53/2005

प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक :18 नवम्बर, 2015

विषय– शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-303/दस-06-89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 एवं संख्या-ई-8-667/दस-06-89/2004, दिनांक 06 जून, 2006 में मानकीकृत कार्यो हेतु रू0 10.00 करोड. तक की लागत के तथा गैर मानकीकृत कार्यो हेतु रू0 2.50 करोड. तक की लागत के भवन निर्माण कार्य किसी भी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जाने की व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या-ई-8-372/दस-2010, दिनांक 24 मई, 2010 द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ को कतिपय शर्तो के अधीन एक वर्ष के लिए मानकीकृत भवनों हेतु रू0 5.00 करोड. तथा गैर मानकीकृत भवनों हेतु रू0 2.50 करोड. तक की सीमा निर्धारित करते हुए राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया गया था।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 (यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2015) द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सियों के लिए भवनों के निर्माण कार्यो की लागत सीमा को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यो की सीमा निर्धारित की गयी है।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण कार्यो हेतु उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित शासनादेश में उल्लिखित राजकीय निर्माण एजेन्सियों के अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (पूर्व नाम उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ) को भी उक्त प्रयोजन हेतु निम्न शर्तो के अधीन राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में माना जायेगा:-

(1) शासनादेश संख्या-ई-8-372/दस-2010, दिनांक 24-05-2010 के प्रस्तर-3(ख) में निर्धारित मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू0 5.00 करोड. तथा गैर मानकीकृत भवनों हेतु रू0 2.50 करोड. की लागत सीमा यथावत् रहेगी।

(2) मानक के अनुसार वांछित वार्षिक टर्न ओवर, तकनीकी स्टाफ एवं इन्फ्रास्टक्चर के अभाव में उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 को 03 (तीन) वर्ष हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया किया जाता है कि डेढ. वर्ष के पश्चात इस संस्था द्वारा इस अवधि में सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो की पुनः समीक्षा व्यय वित्त समिति द्वारा की जायेगी। यदि कार्यदायी संस्था की दक्षता एवं निर्माण कार्यो की गुणवत्ता मानक के अनुरूप पायी जाती है तो कार्यदायी संस्था को अन्तिम रूप से नामित किये जाने पर विचार किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कार्यदायी संस्था को राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किये जाने सम्बन्धी निर्णय को डेढ. वर्ष के पश्चात् स्थगित किया जा सकता है।

(3) प्रश्नगत कार्यदायी संस्था के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग (सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन) द्वारा प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन कराया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति व्यय वित्त समिति के समक्ष भी प्रस्तुत की जायेगी।

(4) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-ई-8-372/दस-2010, दिनांक 24-05-2010 की शेष शर्ते, यथावत् रहेंगी। उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–6/2015/ई-8-1320(1)/दस-2015–53/2005तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
10. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
13. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।